न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः— श्री ज्योति कुमार त्रिपाठी (एच.जे.एस.)
UP05622

सत्र परीक्षण संख्या— 101/2022

राज्य प्रति मु. शहनवाज राइन आदि

<u>आरोप</u>

मैं ज्योति कुमार त्रिपाठी, सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,
आप अभियुक्तगणः—

1.मु. शहनवाज राईन 2. अशोक कुशवाहा
पर निम्न आरोप लगाता हूं:—

प्रथम— यह कि दिनांक 10—08—2021 को 10.00 बजे से दिनांक 12—08—2021 को बसन्तू की मड़ई थाना अलीनगर जिला चन्दौली में मृतका अंजली पटेल का शव मिलने से पूर्व तक की समयावधि में किसी समय आपलोगों ने उसके सर में चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कारित किया। इस प्रकार आपने धारा 302 सपठित 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय— यह कि आप लोगों ने मृतका अंजली की हत्या कारित कर हत्या से सम्बन्धित साक्ष्य विलोपित करने के आशय से उसका शव बसन्तू की मड़ई थाना अलीनगर जिला चन्दौली के पास झाड़ियों में छिपा दिया जिसे पुलिस द्व ारा दि. 12—08—2021 को छत—विछत स्थिति में बरामद किया गया। इस प्रकार आपने धारा 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोपों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः—26—03—2022.

(ज्योति कुमार त्रिपाठी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

दिनांकः—26—03—2022.

(ज्योति कुमार त्रिपाठी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।

सत्र परीक्षण संख्या– 101/2022

<u>राज्य प्रति मु. शहनवाज राइन आदि</u>

<u>26–03–2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मु. शहनवाज राइन व अशोक कुशवाहा जेरे हिरासत उपस्थित हैं। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण पर धारा 302 सपठित 34 व 201 भा.दं.सं. का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तद्नुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सेशन जज,
चन्दौली।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण मु. शहनवाज राइन व अशोक कुशवाहा पर धारा 302 सपठित 34 व 201 भा.दं.सं. का आरोप आरोप लगाया गया जिसे उन्होंने अस्वीकार किया तथा परीक्षण की इच्छा ब्यक्त की।

आरोप–पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 20–04–2022 को प्रस्तुत हो। नियत तिथि पर अभियुक्तगण जिला कारागार से तलब हों।

सेशन जज,
चन्दौली।